अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2021 (GCMS 2021/27) कृष्ण कुक्कड़, निवासी डी–3 जिला न्यायालय परिसर श्रीगंगानगर–335001 (मोबाईल नं0 93527–49963, 94627–49963) बनाम प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

10.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीकृष्ण कुक्कड़ स्वयं उपस्थित है और उसने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापन शाखा, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2020 के के बिन्दु संख्या 02 की सूचना चाही थी जो उसे अपील अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और अब अपील के दौरान लोक सूचना अधिकारी ने उसे अपने पत्रांक 1108 दिनांक 08.03.2021 जो सूचनाएं भेजी है वे अधूरी है। उसे उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 में अंकित अभिलेख अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन द्वारा कोविड –19 महामारी के दौरान सी.एम.एच.ओ. के जरिए खरीद किए गए सामान की खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित संधारित अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ है जो उसे उपलब्ध करवाया जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्रीकृष्ण कुक्कड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2020 के द्वारा निम्न सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी, कलक्टर कार्यालय से चाही थी :

चाहे गए रिकॉर्ड का विवरण :

कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा फेस सील्ड, अन्य उपकरण, कैमिकल्स की खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित रिकॉर्ड जिला कलक्टर के आदेश पर जांच अधिकारी द्वारा दौराने जांच हासिल रिकॉर्ड, गवाहों के बयानों और जांच रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि दी जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)( )स्था/19/616 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार खारिज करते हुए सूचित किया :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा फेस सीéल्ड, अन्य उपकरण, कैमिकल्स की खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित रिकॉर्ड जिला कलक्टर के आदेश पर जांच अधिकारी द्वारा दौराने जांच हासिल रिकॉर्ड , गवाहों के बयानों और जांच रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि दी जावे।	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 श्री गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं मिमों की प्रतियां, जांच आदि नोटिस एवं आदेश व्यक्तिगत श्रेणी में आते है, यानि यह संगठन एवं कर्मचारी/ अधिकारी के बीच का मामला है। ये सूचनाएं तभी सार्वजनिक हो जब व्यापक जनहित में आवश्यक हो। आप द्वारा प्रार्थना पत्र में सूचना चाहने के संबंध में कोई व्यापक जनहित अंकित नहीं किया गया है। अतः आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 (इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 24.12.2020) अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसका आवेदन पत्र खारिज करने के कारण निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रथम अपील पेश की थी। अपील पेश करने पर अपील की प्रथम सुनवाई हेतु दिनांक 08.03.2021 नियत की गई थी, किन्तु इससे पूर्व ही अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)( )स्था/19/1108 दिनांक 05.03.2021 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचनाएं भेजी है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा फेस सील्ड, अन्य उपकरण, कैमिकल्स की खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित रिकॉर्ड जिला कलक्टर के आदेश पर जांच अधिकारी द्वारा दौराने जांच हासिल रिकॉर्ड, गवाहों के बयानों और जांच रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि दी जावे।	फेसशील्ड,अन्य उपकरण, कैमिकल्स की खरीद प्रक्रिया से संबंधित रेकार्ड और जांच रिपोर्ट की सत्य प्रति संलग्न प्रेषित है।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रार्थी ने अपील की सुनवाई हेतु नियत दिनांक 09.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न निवेदन किया :

श्रीमान्जी

उक्त अपील में अध्यक्ष, आपदा प्रबन्धन द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान सी.एम.एच.ओ. के जरिए खरीद किए गए सामान की खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित संधारित अभिलेख की प्रतियों के अलावा आंशिक रूप से रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाने से आज दिनांक 08.03.2021 को Under Protest अधूरा रिकॉर्ड हासिल किया गया।

अतः लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जावे की उसे पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)( )स्था./20/1180 दिनांक 10.03.2021 से इस कार्यालय को निम्नानुसार जवाब दिया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी दी है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र दिनांक 05.03.2021 द्वारा आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा वांछित खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित संधारित अभिलेख इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जांच प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली किसी अन्य मामलें में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष विचाराधीन है।

यदि प्रार्थी पत्रावली का अवलोकन करना चाहता है तो किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर कर सकता है और बाद अवलोकन वांछित रेकार्ड की प्रतियां प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी।

-sd-
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

क्रमांक : एफ1(23)( )स्था./20/ दिनांक :

प्रतिलिपि : श्रीकृष्ण कुक्कड़ एडवोकेट, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करना चाहते है तो किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर कर सकते है और बाद अवलोकन वांछित रिकॉर्ड की प्रतियां आपकों नियमानुसार उपलब्ध करादी जावेगी।

-sd-
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2021 का है जो उसने दिनांक 09.03.2021 को पेश किया है, पर आज दिनांक 10.03.2021 को बहस सुनी गई। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित अभिलेख का सम्बन्ध सी.एम.एच.ओ. कार्यालय, श्रीगंगानगर से है जिस के लिए प्रार्थी को वहां निवेदन करना चाहिए। इस कार्यालय में जो भी उसकी सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख है उसका प्रार्थी यदि अवलोकन करना चाहे तो नियमानुसार अवलोकन करके वांछित अभिलेख प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 10.03.2021 द्वारा सूचित किया जा चुका हैं।

इसके विपरीत अपीलार्थी का कथन था कि उसने दिनांक 22.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किया था, अगर प्रार्थी को कोविड–19 महामारी के दौरान सी.एम.एच.ओ. के जरिए खरीद किए गए सामान की खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित संधारित अभिलेख उनके कार्यालय में नहीं था तो उसके प्रार्थना पत्र का वह भाग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिवस में अंतरित कर देना चाहिए था, जो अब 5 दिन के पश्चात अंतरित नहीं किया जा सकता इसलिए उसे वांछित सूचना सी.एम.एच.ओ. कार्यालय से मंगवाकर उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र एवं उस पर दिये तर्को का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 के अनुसार अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान सी.एम.एच.ओ. से सम्बन्धित संधारित अभिलेख की प्रतियों के अलावा अभिलेख प्राप्त हो चुका है, अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष सूचनाओं का सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से है इस संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) अवलोकनीय है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा :

- **परन्तु यह कि इस उप –धारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।**

चूंकि उक्त शेष रही सूचना का सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को इस सूचना के सम्बन्धित भाग को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त सामान खरीद की प्रक्रिया से सम्बन्धित संधारित अभिलेख को इस कार्यालय के सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा मंगवाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना चाहिए था। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 में अंकित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके साथ साथ **लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से भी आवेदक द्वारा उक्त वांछित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से निर्णय प्राप्ति के 3 दिवस भीतर भीतर प्राप्त कर आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करवायें।**

उक्त के अलावा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 10.03.2021 के अनुसार अपीलार्थी की सूचनाओं से सम्बन्धित जो अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध है, उसका भी अपीलार्थी को अवलोकन करवा दिया जावे और उसमें से यदि अपीलार्थी कोई सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर